भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3491
08.08.2022 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

3491. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री रवि किशन :
श्री मनोज तिवारी :
श्री रविन्दर कुशवाहा :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने हाल ही में नई श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सीएक्यूएम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर वैज्ञानिकों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्णय सहायक प्रणाली (डीएसएस) विकसित की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डीएसएस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ड.) क्या सरकार दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर को रोकने के लिए वर्ष भर की कार्रवाई के उद्देश्य से एक व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और
(च) क्या सरकार शहरों में आवासीय क्षेत्रों में और उनके आस-पास पौधरोपण को अधिदेशित करने के लिए कोई नीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने संभाव्य एक्यूआई पूर्वानुमान के आधार पर अभिज्ञात उपायों को समय रहते शुरू करने के उद्देश्य से ग्रेडिड रिस्पोंस कार्य योजना (जीआरएपी) की पुन: व्यापक समीक्षा की है। संशोधित जीआरएपी की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ) सीएक्यूएम द्वारा आईएमडी, आईआईटीएम, आईआईटी दिल्ली, टेरी, नीरी और सी-डीएसी पुणे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया है, जिसने पूर्व चेतावनी और पूर्व सूचना पर कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए एक निर्णय सहायक प्रणाली (डीएसएस) विकसित की है।

डीएएएस, वायु गुणवत्ता के संबंध में आपात प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित जटिल मुद्दों पर सीएक्यूएम द्वारा निर्णय लेने के लिए दिल्ली और एनसीआर में पूर्व चेतावनी और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मुहैया कराएगी।

(ड.) और (च) सरकार ने सीएक्यूएम के सहयोग से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रति वर्ष होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे को दूर करने के लिए एक नीति को अंतिम रूप दिया है। इस नीति में एनसीआर सहित उद्योगों, वाहनों/परिवहन, निर्माण और विध्वंस, सड़कों और खुले क्षेत्रों की धूल, नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाने, फसल अवशेष को जलाने आदि सहित वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए क्षेत्र-वार कार्य योजनाएं निहित हैं। इस नीति में हरियाली और पौधरोपण आदि के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों, स्वच्छ ईंधन और विद्युत स्वचलता, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन, डीजल जेनरेटर, पटाखों को जलाने और वायु प्रदूषण को दूर करने का भी उल्लेख है।

सरकार शहरी समूहों और नगरों में, जहां भी व्यवहार्य हो, बड़ी संख्या में 'नगर वन' और 'नगर वाटिका' के निर्माण/विकास की योजना पहले से ही तैयार कर चुकी है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की सहायता से शहरी स्थानीय निकाय और अन्य 10-50 हेक्टेयर की भूमि में नगर वन और 1-10 हेक्टेयर की भूमि में वाटिकाएं स्थापित कर सकती हैं। शहरी भू-दृश्यों में स्थान की कमी को देखते हुए, मेट्रो रेल के खंभों और अन्य ऐसी अवसंरचनाओं आदि के साथ-साथ वर्टीकल गार्डन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

*****

अनुबंध-I

संशोधित जीआरएपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- एनसीआर के लिए जीआरएपी को अब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के माध्यम से प्रतिबिम्बत होने वाली प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार विभिन्न स्तरों के तहत वर्गीकृत किया गया है - स्तर-I 'खराब' (एक्यूआई 201-300); स्तर-II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400); स्तर-III गंभीर (एक्यूआई 401-450); स्तर- IV - 'गंभीर'+' (एक्यूआई > 450)।
- गतिशील मॉडल और दिन प्रतिदिन के आधार पर आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा आयोग को उपलब्ध कराए जाने वाले मौसम/मौसम विज्ञान पूर्वानुमान के आधार पर एक्यूआई के उन प्रक्षेपित स्तरों पर पहुंचने से कम से कम तीन दिन पूर्व, II, III और IV स्तरों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- प्रस्तावित प्रतिबंध कम स्तर से अधिक स्तर तक क्रमिक रूप से लागू किए जाएंगे अर्थात् वायु प्रदूषण स्तर जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित कार्रवाई किए जाने की परिकल्पना की गई है, के साथ-साथ पूर्व स्तरों के अनुसार प्रतिबंधित कार्रवाई चलती रहेगी। उदाहरणार्थ, स्तर III श्रेणी के तहत जब भी प्रतिबंधित कार्रवाई शुरू की जाएगी, यह कार्रवाई क्रमश: स्तर-I और II के अतिरिक्त की जाएगी और इसके आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
- समय-समय पर आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विद्यमान वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाने और जीआरएपी के विभिन्न उपबंधों को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लिए इस आयोग द्वारा गठित जीआरएपी संबंधी उप-समिति की लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- उप-समिति, जीआरएपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाईयों की समीक्षा भी करेगी।

*****